



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 फरवरी, 2021

माघ 15, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर

पत्र संख्या 156-60/बं०श्र०(रा०मा०आ०)-21

कानपुर, 4 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-41

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बन्धुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1976) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3043-46/एस०आर०बी०एल० सतर्कता समिति, दिनांक 9 नवम्बर, 2017 का अतिक्रमण करके राज्यपाल, परगना सदर, जिला मेरठ के लिये एक परगना स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1-उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, सदर	अध्यक्ष
2-श्री जौहरीमल, पुत्र स्व० कालूराम, 188/2, सुभाष नगर, मेरठ	सदस्य
3-श्री ज्ञानेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम व पोस्ट हसनपुर कददीम, मेरठ	सदस्य
4-श्रीमती बीना गौतम, निवासी मा० कांशीराम आवासीय योजना, के०टी० 186, लोहिया नगर परिसर, मेरठ	सदस्य
5-डा० अनुराधा गुप्ता, पत्नी डा० संजय भटनागर, कैंटोमेन्ट जनरल अस्पताल, मेरठ	सदस्य
6-श्री गिरिश कुमार, पुत्र स्व० बनारसीदत्त, 11/43 मोहनपुरी, विकास बिहार कालोनी के पीछे, मेरठ	सदस्य
7-खण्ड विकास अधिकारी, खरखौंदा	सदस्य
8-खण्ड विकास अधिकारी, जानी	सदस्य
9-खण्ड विकास अधिकारी, रजपुरा	सदस्य
10-प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, शाखा कचहरी, मेरठ	सदस्य
11-तहसीलदार, सदर, मेरठ	सदस्य

आज्ञा से,

मोहम्मद मुस्तफा,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/पदेन सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 703 राजपत्र-2021-(1397)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० श्रम-2021-(1398)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।